

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

पाधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 95] No. 95] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 13, 2019/माघ 24, 1940

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 13, 2019/MAGHA 24, 1940

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 फरवरी, 2019

सा.का.नि. 111(अ).—राष्ट्रपित, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, आशुलिपिक, विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा नियम, 2000 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में आशुलिपिक के पद पर प्रोन्नति के लिए सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, आशुलिपिक, सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा नियम, 2018 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन कि तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
- 2. परिभाषा. इन नियमों में जब तक की संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,
 - (क) "नियुक्ति प्राधिकारी" से इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में भारत सरकार का निदेशक (कार्मिक) या उप सचिव (कार्मिक) अभिप्रेत है;
 - (ख) "उपलब्ध रिक्ति" से इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में आशुलिपिक के पद पर ऐसी रिक्ति अभिप्रेत है जो परीक्षा के परिणाम के आधार पर भरी जानी अपेक्षित है;

1000 GI/2019 (1)

- (ग) "निर्णायक तारीख" से रिक्ति वर्ष की जनवरी मास की पहली तारीख अभिप्रेत है, जिसमें ऐसी परीक्षा आयोजित की जाती है;
- (घ) "परीक्षा" से इस अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में आशुलिपिक के पद पर प्रोन्नति के लिए सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा अभिप्रेत है;
- (ङ) "भर्ती वर्ष" से एक जनवरी से प्रारम्भ होने वाली और उसी वर्ष के दिसम्बर मास की 31 तारीख को समाप्त होने वाली अवधि अभिप्रेत है:
- (च) "अनुसूची" से इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है;
- (छ) "अनुसूचित जाति" और "अनुसूचित जनजाति" के वही अर्थ होंगे जो उनका संविधान के अनुच्छेद 366 के क्रमशः खंड (24) और खंड (25) में हैं।
- 3. पात्रता की शते. इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में ऐसे किनष्ठ सिचवालय सहायक जिसने वेतन मैट्रिक्स (19,900-63,200 रु0) में स्तर-2 में कुल पांच वर्ष की अनुमोदित सेवा पूरी कर ली है जिसमें वेतन मैट्रिक्स में उस स्तर में कम से कम चार वर्ष की नियमित और निरंतर सेवा सिम्मिलित होनी चाहिए, निर्णायक तारीख को सीमित विभागीय प्रतिस्पर्धा परीक्षा में बैठने के लिए पात्र होंगे ।
 - टिप्पण 1: भर्ती के वर्ष के पहले दिन श्रेणी में पदावास (रेज़ीडेंसी) अवधि के रूप में की गयी अनुमोदित सेवा की गणना प्रोन्नति के लिए की जाएगी।
 - टिप्पणी 2 : इस नियम के उद्देश्य के लिए 'अनुमोदित सेवा' की अवधि की गणना निम्नलिखित रीति से की जाएगी, अर्थात्: —
 - (i) सीधी भर्ती से उस श्रेणी में चयनित किसी अधिकारी की बावत, उस श्रेणी में की गयी नियमित सेवा की अविध या अविधयां, होगी जिसके अंतर्गत अनुपस्थिति की अविध या अविधयां भी हैं जिसके दौरान उसके उस श्रेणी में नियमित आधार पर पद धारण किया होता यदि वह उस वर्ष जिसमें सीधी भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की गयी थी, से आगामी भर्ती वर्ष के पहले दिन से छुट्टी नहीं हुई होती या अन्यथा ऐसा पद धारण करने के लिए उपलब्ध नहीं होती।
 - (ii) विभागीय परीक्षा के माध्यम से उस श्रेणी में भर्ती किए गए किसी अधिकारी की बावत, उस श्रेणी में की गयी नियमित सेवा की अवधि या अवधियां होगी जिसके अंतर्गत् अनुपस्थिति की अवधि या अवधियां भी हैं जिसके दौरान उसके उस श्रेणी में नियमित आधार पर पद धारण किया होता, यदि वह उस भर्ती वर्ष, जिसके रिक्तियों के लिए ऐसी परीक्षा आयोजित की गई थी, के पहले दिन से छुट्टी नहीं हुई होती या अन्यथा ऐसा पद धारण करने के लिए उपलब्ध नहीं होता।
 - (iii) निम्नतर श्रेणी में सेवा की अवधि के आधार पर उस श्रेणी में भर्ती किए गए किसी अधिकारी की बावत, उस श्रेणी में की गयी नियमित सेवा की अवधि या अवधियां होगी जिसके अंतर्गत् ऐसी अनुपस्थिति की अवधि या अवधियां भी हैं जिसके दौरान उसके उस श्रेणी में नियमित आधार पर पद धारण किया होता, यदि वह उस भर्ती वर्ष जिसके लिए भर्ती की गई थी, के पहले दिन से छुट्टी नहीं हुई होता या अन्यथा ऐसा पद धारण करने के लिए उपलब्ध नहीं होता:

परन्तु उपर्युक्त उपखंड (i), (ii) और (iii) में उल्लिखित किसी भी मामले में जहां नियुक्ति के संबंध में कार्यभार ग्रहण के नब्बे दिन से अधिक का विलम्ब है, वहां ऐसा विलम्ब अधिकारी की ओर से किसी गलती के कारण नहीं होना चाहिए।

टिप्पण 3: जहां ऐसे कनिष्ठ अधिकारियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे जेष्ठ अधिकारियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबिक उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ अधिकारियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

- 4. **परीक्षा का आयोजन. (**1) नियुक्ति प्राधिकारी परीक्षा की घोषणा करते समय परीक्षा की तारीख और स्थान तथा निर्धारित की गई उपलब्ध और प्रत्याशित रिक्तियों की संख्या अधिसूचित करेगा।
 - (2) परीक्षा, अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में अधिसूचना की तारीख से कम से कम तीस दिन की समाप्ति के पश्चात् आयोजित की जाएगी, जिसके भर्ती वर्ष की 31 मार्च से पूर्व आयोजित किया जाए।
 - (3) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या यदि कोइ हो, अधिसूचना में स्पष्टतः उपदर्शित की जाएगी।
- 5. परिणाम. (1) परीक्षा के भाग 1 और भाग 2 में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंकों के आधार पर योग्यता के क्रम में सफल अभ्यर्थियों के नामों की एक योग्यता सूची, भर्ती वर्ष में होने वाली रिक्तियों और प्रत्याशित रिक्तियों यदि कोई हों, की संख्या को ध्यान में रखते हुए, अधिसूचित की जाएगी।
 - (2) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए मूल्यांकन के मानक समय-समय पर जारी सरकारी अनुदेशों के अनुसार होंगे।
 - (3) उपलब्ध रिक्तियों के विरूद्ध नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों पर उसी क्रम से विचार किया जाएगा जिसमें उनके मानक नाम उपनियम (1) के अधीन तैयार की गई योग्यता सूची में आते हैं।
 - (4) योग्यता सूची अधिसूचित रिक्तियों के भरे जाने तक या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उसके अनुमोदन की तारीख के 18 मास की अवधि तक या उस समय तक प्रवृत रहेगी जब तक कि अगली योग्यता सूची को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नहीं कर दिया जाता है, इनमें से जो भी पूर्वतर हो।
- 6. नियुक्ति. िकसी अभ्यर्थी का नाम योग्यता सूची में सम्मिलित िकए जाने से ही उसे कोई नियुक्ति का अधिकार प्राप्त नहीं होगा और नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा यह समाधान कर लेने के पश्चात् िक अभ्यर्थी के विरूद्ध कोई सतर्कता या अनुशासन संबंधी कोई मामला लंबित या अनुध्यात नहीं है और योग्यता सूची में उसके नाम, पदों के आरक्षण या ऐसी अन्य अपेक्षाओं को विचार में लेने के पश्चात् नियुक्त िकया जाएगा जो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर कानूनी आदेशों या नियमों द्वारा अधिकथित की जाएं।
- 7. पद त्याग, आदि पर योग्यता सूची से नाम का हटाया जाना. (1) किसी ऐसे अभ्यर्थी की दशा में, जो परीक्षा में बैठने के पश्चात् अपनी सेवा से पद त्याग करता है या जिसकी सेवा समाप्त कर दी जाती है या जिसे किसी काडर बाह्य पद पर या किसी अन्य सेवा में नियुक्त किया जाता है या जिसका नियम 3 में वर्णित पदों में से किसी पर धारणाधिकार नहीं है उसका नाम योग्यता सूची में सम्मिलित नहीं किया जाएगा या यदि उक्त योग्यता सूची में सम्मिलित है तो उससे उसका नाम काट दिया जाएगा।
 - (2) जहां कोई अभ्यर्थी, जिसका नाम उक्त वरीयता सूची में सम्मिलित है, नियुक्ति प्राधिकारी की अनुमित से केन्द्रीय सरकार के अन्य काडर बाह्य पद या किसी अन्य विभाग में स्थानांतरित किया जाता है और नियम 3 में वर्णित किसी पद पर उसका धारणाधिकार बना रहता है, वहां उसे आशुलिपिक के रूप में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वह योग्यता सूची के प्रवृत्त रहने की अविध के दौरान अपने मूल पद पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में अपना काम पुनः प्रारम्भ नहीं करता है:

परंतु यह कि प्रोफार्मा प्रोन्नति के लिए उसके दावे पर विचार नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर इस निमित्त जारी किए गए केन्द्रीय सरकार के आदेशों और नियमों के अनुसार किया जा सकेगा ।

- प्रतिरुपण या अन्य अवचार के लिए शास्ति. कोई ऐसा अभ्यर्थी, जो निम्नलिखित का दोषी है या उसके लिए नियुक्ति
 प्राधिकारी द्वारा दोषी घोषित किया गया है
 - (i) अपनी अभ्यर्थिता के लिए किन्हीं साधनों द्वारा समर्थन प्राप्त करना ; या

- (ii) प्रतिरुपण; या
- (iii) किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिरुपण कराना; या
- (iv) गढ़े हुए दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत करना, जिसमें गड़बड़ी की गई हो; या
- (v) ऐसे कथन करना, जो सही नहीं है या मिथ्या है या तात्विक जानकारी को छुपाते हैं; या
- (vi) परीक्षा के लिए अपनी अभ्यर्थिता के सम्बन्ध में कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधनों का सहारा लेना; या
- (vii) परीक्षा भवन में अनुचित साधनों का प्रयोग करना; या
- (viii) परीक्षा भवन में दुर्व्यवहार करना; या
- (ix) खंड (i) से खंड (viii) तक में विनिर्दिष्ट मंत्रालयों के सभी या कोई अन्य कार्य, यथास्थिति, करने का प्रयत्न करना या करने को दुष्प्रेरित करना;

दांडिक कार्यवाही के अतिरिक्त, निम्नलिखित के दायित्वाधीन हो सकेगा –

- (क) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परीक्षा से निरर्हित किया जाना; या
- (ख) समुचित नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्रवाई :

परन्तु यह कि इस नियम के अधीन निम्नलिखित के सिवाय कोई शास्ति अधिरोपित नहीं की जाएगी -

- (i) अभ्यर्थी को लिखित में ऐसा प्रतिवेदन देने के लिए अवसर प्रदान किया जाए जो वह उस प्रयोजन से देना चाहता है; और
- (ii) अभ्यर्थी द्वारा प्रतिवेदन को, यदि कोई हो उसके द्वारा जारी की गई अवधि के भीतर विचार किया जाएगा।
- 9. **शिथिल करने की शक्ति.** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बावत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 10. जहां तक किसी अभ्यर्थी के आवेदन की स्वीकार्यता और उसकी पात्रता का सम्बन्ध है वहां पर केंद्रीय सरकार का विनिश्चय, परीक्षा के लिए अन्यथा प्रवेश करने के लिए अंतिम होगा।

अनुसूची

(नियम 4 देखिए)

परीक्षा निम्नलिखित दो भागों में संचालित की जाएगी, अर्थात् : —

भाग - 1

आशुलिपि परीक्षा :

- (क) इस परीक्षा में 10 मिनट के लिए प्रति मिनट 80 शब्दों की गति से अंग्रेजी या हिन्दी का श्रुतलेख सम्मिलित होगा।
- (ख) अंग्रेजी में आशुलिपि परीक्षा का विकल्प चुनने वाले अभ्यर्थियों को दिए गए श्रुतलेख को 50 मिनट में टंकित करना अपेक्षित होगा और हिन्दी में आशुलिपि परीक्षा का विकल्प चुनने वाले अभ्यर्थियों को दिए गए लेख को केवल कम्प्यूटर 65 मिनट में टंकित करना अपेक्षित होगा।
- (ग) आशुलिपि परीक्षा के अधिकतम 100 अंक होंगे।

भाग - 2

- वार्षिक संपादन अंकन रिपोर्टों का निर्धारण :-
 - (क) यह भाग अधिकतम 100 अंकों का होगा।
 - (ख) अभ्यर्थियों के वार्षिक संपादन अंकन रिपोर्टों की प्रोन्नति के लिए संगणित की गई सेवा अवधि हेतु संवीक्षा की जाएगी और तद्नुसार विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा अंक आबंटित किए जाएंगे ।
 - (ग) पदावास अवधि के दौरान प्रत्येक वर्ष की वार्षिक संपादन अंकन रिपोर्टों में न्यूनतम अर्हता अंक आशुलिपिक के पद की प्रोन्नति के लिए विहित किए गए मानक से कम नहीं होगा ।
- 2. पैराग्राफ 1 के उप-पैराग्राफ (ख) में संदर्भित विभागीय पदोन्नति समिति में निम्नलिखित व्यक्ति सम्मिलित होंगे, अर्थात्:-
 - (1) निदेशक (कार्मिक) या उप-सचिव (कार्मिक) या संयुक्त निदेशक (कार्मिक) या अध्यक्ष; संयुक्त निदेशक, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
 - (2) उप निदेशक, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सदस्य;
 - (3) इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से इतर भारत सरकार सदस्य। के मंत्रालय या विभाग या संगठन से एक अवर सचिव या समतुल्य

[फा. सं. 1(7)/2018- पी.।।।]

राजीव कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY NOTIFICATION

New Delhi, the 8th February, 2019

- **G.S.R.** 111(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Information Technology, Stenographer, Departmental Competitive Examination Rules, 2000, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the Limited Departmental Competitive Examination for promotion to the post of Stenographer in the Ministry of Electronics and Information Technology, namely:—
- 1. **Short title and commencement**. (1) These rules may be called the Ministry of Electronics and Information Technology, Stenographer, Limited Departmental Competitive Examination Rules, 2018.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. **Definition**. In these rules unless the context otherwise requires,
 - (a) "appointing authority" means the Director (Personnel) or Deputy Secretary (Personnel) to the Government of India, Ministry of Electronics and Information Technology;
 - (b) "available vacancy" means a vacancy in the post of Stenographer's grade in the Ministry of Electronics and Information Technology which is required to be filled up on the basis of the results of the examination;
 - (c) "crucial date" means the first day of January of the year of the vacancies for which such examination is held;
 - (d) "examination" means the Limited Departmental Competitive Examination for promotion to the post of Stenographer held in the manner specified in the Schedule;
 - (e) "recruitment year" means the period commencing from the 1st day of January and ending on the 31st day of December of the same year;
 - (f) "Schedule" means the Schedule annexed to these rules;

- (g) "Scheduled Castes" and "Scheduled Tribes" shall have the same meanings respectively as assigned to them in clauses (24) and (25) of article 366 of the Constitution.
- 3. **Conditions of eligibility.** Junior Secretariat Assistant in level-2 in the pay matrix (Rs. 19,900-63,200) in the Ministry of Electronics and Information Technology who have rendered a total of five years of approved service which should include at least four years of regular and continuous service in that level in the pay matrix on the crucial date shall be eligible to appear in the Limited Departmental Competitive Examination.
 - **Note 1:** The approved service rendered in the grade, on the 1st day of the recruitment year, as the residency period will be counted for promotion.
 - **Note 2:** For the purposes of this rule, the period of 'approved service' shall be calculated in the following manner, namely:—
 - (i) in respect of an officer recruited directly to that grade, period or periods of regular service rendered in that grade, including period or periods of absence during which he would have held a post on regular basis in that grade but for his being on leave or otherwise not being available to hold such post, from the first day of the recruitment year, following the year in which the examination for direct recruitment was held;
 - (ii) in respect of an officer recruited to that grade through departmental examination, period or periods of regular service rendered in that grade, including period or periods of absence during which he would have held a post on regular basis in that grade but for his being on leave or otherwise not being available to hold such post, from the first day of the recruitment year for vacancies of which such examination was held;
 - (iii) in respect of an officer recruited to that grade on the basis of length of service in the lower grade, period or periods of regular service rendered in that grade, including period or periods of absence during which he would have held a post on regular basis in that grade but for his being on leave or otherwise not being available to hold such post, from the first day of the recruitment year for which the recruitment was made:

Provided that where there is delay of more than ninety days in joining on appointment, in any of the cases mentioned in the sub-clauses (i), (ii), and (iii) above, such delay should not be due to any fault on the part of the officer.

- **Note 3:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.
- 4. **Holding of the examination**. (1) The appointing authority shall notify the dates and place of the examination and number of available and anticipated vacancies assessed at the time of announcing the examination.
 - (2) The examination shall be conducted after the expiry of at least thirty days from the date of notifying the vacancies in the manner specified in the Schedule which may be held before the 31st March of the recruitment year.
 - (3) The number of vacancies reserved for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of person, if any, shall be clearly indicated in the notification.
- 5. **Results**. (1) On the basis of the aggregate marks secured by the candidate in Part I and II of the examination, a merit list containing the names of the successful candidates in order of merit shall be notified, keeping in view the number of vacancies and anticipated vacancies, if any, falling in the recruitment year.
 - (2) The standards of evaluation for candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes shall be as per the Government instructions from time to time.
 - (3) The candidates for appointment against the available vacancies shall be considered in the order in which their names appear in the merit list prepared under sub-rule (1).
 - (4) The merit list shall remain in operation till the notified vacancies are filled up or upto a period of 18 months from the date of its approval by the appointing authority or till next merit list is approved by the appointing authority, whichever is earlier.
- 6. **Appointment.** The inclusion of the name of any candidate in the merit list shall not confer a right to appointment and he shall be appointed by the appointing authority only after satisfying itself that no vigilance or disciplinary case is either pending or contemplated against the candidate and after taking into account his placement in the merit list, the reservation of posts or such other requirements as may be laid down by statutory orders or rules issued by the Central Government, from time to time, in this regard.

- 7. **Removal of name from merit list on resignation, etc.** (1) In case a candidate after appearing at the examination resigns from the service or whose services are terminated or who is appointed to an ex-cadre post or to any other service and does not have a lien on any post mentioned in rule 3, his name shall not be included in the merit list, or if included in the said merit list shall be struck off therefrom.
 - (2) Where a candidate, whose name is included in the said merit list, is appointed to an ex-cadre post or is transferred to another Department of the Central Government with the permission of the appointing authority and continue to have a lien on any post mentioned in rule 3, shall not be appointed as Stenographer till he resumes the duties in the Ministry of Electronics and Information Technology on his initial post during the period the merit list remains in force:

Provided that his claim for proforma promotion may be considered by the appointing authority in accordance with the orders and rules of the Central Government, issued in this behalf from time to time.

- 8. **Penalty for impersonation or other misconduct.** A candidate, who is or has been declared by the appointing authority to be guilty of
 - (i) obtaining support for his candidature by any means; or
 - (ii) impersonation; or
 - (iii) procuring impersonation by any person; or
 - (iv) submitting fabricated documents or documents which have been tampered with; or
 - (v) making statements which are incorrect or false or suppressing material information; or
 - (vi) resorting to any other irregular or improper means in connection with his candidature for the examination; or
 - (vii) using unfair means in the examinations hall; or
 - (viii) misbehaving in the examination hall; or
 - (ix) attempting to commit or, as the case may be, abetting the ministry of all or any of the acts specified in clauses (i) to (viii);

may, in addition to the criminal proceedings, liable -

- (a) to be disqualified by the appointing authority from the examination; or
- (b) to disciplinary action, under the appropriate rules:

Provided that no penalty under this rule shall be imposed except after-

- (i) giving the candidate an opportunity of making such representation in writing as he may wish to make in that behalf; and
- (ii) taking the representation, if any submitted by the candidate within the period allowed to him, into consideration.
- 9. **Power to relax.** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 10. The decision of the Central Government with regard to the acceptance of the application of a candidate and his eligibility or otherwise for admission to the examination shall be final.

SCHEDULE

(See rule 4)

The examination shall be conducted in the following two parts, namely:-

Part I

Stenography Test:

- (a) This test shall consist of dictation either in English or in Hindi at a speed of 80 words per minute for 10 minutes.
- (b) The candidates who opt to take Stenography test in English will be required to transcribe the dictated passage in 50 minutes and those who opt to take the Stenography test in Hindi will be required to transcribe the dictated passage in 65 minutes only on computer.
- (c) The Stenography test will carry a maximum of 100 marks.

Part II

- 1. Assessment of Annual Performance Appraisal Reports:-
 - (a) This part shall carry a maximum of 100 marks.
 - (b) The Annual Performance Appraisal Reports of the candidates shall be scrutinised for the service period reckoned for promotion and marks will be accordingly allotted by the Departmental Promotion Committee.
 - (c) The minimum qualifying marks in the Annual Performance Appraisal Reports of each year during the residency period will not be lower than the benchmark prescribed for promotion to the post of Stenographer.
- 2. The Departmental Promotion Committee referred to in sub-paragraph (b) of paragraph 1 shall consist of the following persons, namely:-

(1) Director (Personnel) or Deputy Secretary (Personnel) or Joint Director (Personnel) or Joint Director, Ministry of Electronics and Information Technology

- Chairman;

(2) Deputy Director, Ministry of Electronics and Information Technology

- Member;

(3) Under Secretary or equivalent to the Government of `
India from Ministry or Department or an Organisation other
than the Ministry of Electronics and Information Technology

- Member.

[F.No. 1(7)/2018-P.III] RAJIV KUMAR, Jt. Secy.